

प्ररूप 21ग
(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

राजस्थान (राज्य) के 17-बाड़मेर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोकसभा के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि-

श्री उम्मेदा राम बेनिवाल

निम्बाणियों की ढाणी, पुनियों का तला, तहसील- गिडा जिला-बालोतरा

जो इंडियन नेशनल काँग्रेस द्वारा खड़े किए गए हैं।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान: बाड़मेर

तारीख: 04 जून, 2024


(निशान्त जैन)

रिटर्निंग ऑफिसर

17-बाड़मेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
(जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,)

बाड़मेर

(निशान्त जैन)

रिटर्निंग ऑफिसर

17-बाड़मेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
(जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट)
बाड़मेर

FORM 21C
(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the House of the People from the 17-BARMER Parliamentary constituency in Rajasthan. (State)


In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951 read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

Shri UMMEDA RAM BENIWAL

NIMBANIYON KI DHANI, PUNIYON KA TALA, TEHSIL- GIDA DISTRICT- BALOTRA
sponsored by INDIAN NATIONAL CONGRESS

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : BARMER
Date : 04th June, 2024


(Nishant Jain)
Returning Officer
17-Barmer Parliamentary Constituency
(District Collector and District Magistrate,)
Barmer

(Nishant Jain)
Returning Officer
17-Barmer Parliamentary Constituency
(District Collector and District Magistrate)
Barmer